न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 58/2023

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा

1/1 शान्ती देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण

1/2 लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण

1/3 विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण

1/4 सुशिला पुत्री लक्ष्मीनारायण

1/5 मन्जु देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण

1/6 ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति कुमावत निवासी डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुदयाल – फौत

1/1 रतन लाल पुत्र प्रभुदयाल

1/2 बसन्त पुत्र प्रभुदयाल

1/3 छोटेलाल पुत्र प्रभुदयाल

1/4 विनोद कुमारी पुत्री प्रभुदयाल

1/5 कृष्णा कुमारी पुत्री प्रभुदयाल

1/6 सुमित्रा पुत्री प्रभुदयाल

1/7 कमला देवी पत्नि प्रभुदयाल

समस्त जाति कुमावत निवासी डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

2. प्रबंधक एच0डी0एफ0सी0बैंक शाखा कि0 रेनवाल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री हनुमान जाखड वकील प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार कुमावत वकील अप्रार्थी

दिनांक :– 26.09.2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 1763/5 रकबा 1.5174 है0 बारानी वाके ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें वादी खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि मे आने

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जाने का कोई अन्य रास्ता नही है सबसे नजदीकी रास्ता यही है। इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिए व अपनी भूमि पर आने जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता ख0न0 1763/11 रकबा 1.5174 है0 बारानी 1 वाकै ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे से दक्षिण से उत्तर सीमा के सहारे सहारे मार्क ए0से बी0 दो गटठा चौडे रास्ते की आवश्यकता है। जोबनेर से महला जाने वाली सडक से ए0 मार्क तक जहा कुआ बना हुआ है वहा तक नक्शे मे रास्ता कटा हुआ है। जिसके ख0न0 1763/9 है जो राजस्व रिकोर्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है।

प्रार्थी के पास वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध है उक्त भूमि मे से रास्ता दिये जाने से प्रार्थी अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यंत्रो को लाने ले जाने व पशुओ के लिए चारा वगैरह लाने ले जाने उसको सुविधा मिल सकती है। इसलिए ख0न0 1763/11 रकबा 1.5174 है0 बारानी–1 मे से मार्क ए0से बी0 संलग्न नक्शे मे दर्शित रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जावे उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी वर्तमान मे अपने कब्जे खातेदारी के खेत मे इसी रास्ते से आता जाता है। पूर्व मे उक्त आराजियात के मूल ख0न0 1763 ही थे उक्त खसरे का विभाजन हुआ तब भूलवश रास्ता कायम नही किया गया था। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी उक्त रास्ते के लिए धारा 251–ए आर0टी0ए0 के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जबाब इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 का अधिनियम सं03 की धारा 251 क की मे उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये खातेदार का सिंचाई जोत मे पहुच के प्रयोजन के लिये सबसे निकटतम रास्ता होना अनिवार्य है। जो कि ख0न0 1763/11 वाकै ग्राम डेहरा मे से ऐ से बी मार्क किया गया है जो कि उचित नही होकर ख0न0 1763 मे से दिया जाना 251 क कि मन्शा के अनुसार उचित होगा जो कि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि है। जो कि जोबनेर मे महला जाने वाली मुख्य रोड से लगवा है।

प्रार्थना पत्र के मद न04 का पेरा न0 क के 01 लगा02 मे वर्णित तथ्य सही व स्वीकार है एवं पेरा नं0 ख वर्णित तथ्य सही व स्वीकार है तथा पेरा नं0 ग मे वर्णित ख0न0 1763/5 रकबा 1.5174 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो की सही व स्वीकार है लेकिन उक्त भूमि मे आने जाने का निकटतम रास्ता ख0न0 1763/11 से नही होकर ख0न0 1763 व ख0न0 1763/4 मे से होना चाहिए जो की ख0न0 1763 मे से मार्क

अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

ए से बी तथा ख0न0 1763/4 मे से मार्क बी से सी व डी अंकित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की मन्शा के अनुसार प्रस्तुत नही किया जाने से खारीज करने योग्य है।

वकील अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य मुख्य रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी प्रभुदयाल से संबंधित है, जिसका विस्तृत जवाब अप्रार्थी प्रभुदयाल द्वारा स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। अप्रार्थी प्रभुदयाल ने अप्रार्थी बैंक के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी को रहन रखकर उक्त आराजी पर केसीसी के जरिये ऋण प्राप्त किया हुआ है। जब तक उक्त ऋण राशि की अदायगी नही हो जाती है एवं राजस्व रिकार्ड में रहन फक का नामान्तरण दर्ज नहीं हो जाता, तब तक राजस्व रिकार्ड में मौके पर अप्रार्थी बैंक के हकों तक किसी प्रकार की तब्दीली एवं अप्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन आराजी के हद तक किसी भी प्रकार का रास्ता निर्माण की घोषणा किया जाना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी एक बैकिंग वित्तीय संस्थान है, जो बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के तहत कार्य करती है, जिसका कार्यक्षेत्र बैकिंग कार्य करना एवं विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो कि पब्लिक मनी डील करती है, अप्रार्थी प्रभुदयाल की हिस्से की आराजी मिन विपक्षी बैंक के पक्ष में रहन हैं, बैंक की ऋण राशि अप्रार्थी प्रभुदयाल की तरफ बकाया है, जिस बकाया ऋण राशि को मिन विपक्षी बैंक प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिए अप्रार्थी बैंक के हको व अधिकारों की रक्षा करने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी बैंक के हको व हिस्से तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 21.02.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम डेहरा के आराजी ख0न0 1763/11 रकबा 1.5174 है0 किस्म बा.अ., प्रभुदयाल पुत्र रामू हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज है। आ0न0 1763/5 रकबा 1.5174 है0 किस्म बा.अ. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। प्रार्थी के लिए रास्ता जरूरी है। चाहे गये रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बंधित नही है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ रेनवाल का रहन दर्ज है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर न्यायालय का स्थगन नही है। चाहे गये रास्ते की भूमि बिन्दू ए से बी ख0न0 1763/11 रकबा 1.5174 हे0 है जिसकी ल0122 मी. व चौ0 5 मी0 कुल क्षेत्रफल 610 वर्ग मी0 है। ख0न0 1763 रकबा 0.7840 किस्म बारानी प्रार्थी की है जो जोबनेर महला सडक पर है बिन्दु सी से डी की लम्बाई 80 मी. व चौडाई 5 मी. कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग मी. है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात ख0नं0 1763/5 में पहुंच हेतु वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध है प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

द्वारा चाहा गया रास्ता दिये जाने से प्रार्थी अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यंत्रो को लाने ले जाने व पशुओ के लिए चारा वगैरह लाने ले जाने उसको सुविधा मिल सकती है। इसलिए ख0न0 1763/11 रकबा 1.5174 है0 में से रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जावे उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये जावे।

वकील अप्रार्थी ने जबाब में दर्ज तथ्यो का ही दोहरान करते हुए निवेदन किया कि ख0न0 1763/11 वाकै ग्राम डेहरा मे से ऐ से बी मार्क किया गया है जो कि उचित नही होकर ख0न0 1763 मे से दिया जाना 251 क कि मन्शा के अनुसार उचित होगा जो कि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि है। जो कि जोबनेर मे महला जाने वाली मुख्य रोड से लगवा है। प्रार्थी की भूमि मे आने जाने का निकटतम रास्ता ख0न0 1763/11 से नही होकर ख0न0 1763 व ख0न0 1763/4 मे से होना चाहिए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थी द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 1763/5 रकबा 1.5174 है में आराजी खसरा नम्बर 1763/11 से पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि है। प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहे गये रास्ते की भूमि बिन्दू ए से बी ख0न0 1763/11 रकबा 1.5174 हे0 है जिसकी ल0122 मी. व चौ0 5 मी0 कुल क्षेत्रफल 610 वर्ग मी0 है। ख0न0 1763 रकबा 0.7840 किस्म बारानी प्रार्थी की है जो जोबनेर महला सडक पर है बिन्दु सी से डी की लम्बाई 80 मी. व चौडाई 5 मी. कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग मी. है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ख0सं0 1763/11 में से चाहे गये रास्ते का क्षेत्रफल 122 वर्ग मी0 है तथा तहसीलदार जोबनेर द्वारा बताये गये वैकल्पिक मार्ग की लम्बाई 80 वर्ग मीटर है। मौका अनुसार प्रार्थी को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ0ख0नं0 1763/4 से उपलब्ध है, क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी की स्वयं की आराजीयात ख0सं0 1763 से लगवा है एवं प्रार्थी की आराजीयात ख0सं0 1763 जोबनेर–महला सडक पर स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी आराजीयात खसरा नं0 1763/5 में खसरा संख्या 1763 एवं 1763/4 में से होकर आवागमन कर सकता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बिन्दू 'सी' से 'डी' तक बताया गया रास्ता मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आ.0ख0नं0 1763/4 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 1763/5 रकबा 1.5174 वाके ग्राम डेहरा तह0 जोबनेर तक पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1763/4 की दक्षिणी सीमा पर 80 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर उक्त रास्ते की भूमि के बदले में रास्ते की भूमि के बराबर भूमि प्रार्थी की आराजीयात खसरा संख्या 1763/5 की दक्षिणी सीमा पर, जो अप्रार्थी की आराजीयात ख0नं0 1763/11 के लगवा स्थित है में से रास्ते की भूमि को छोडते हुए अप्रार्थी के हिस्से मे दर्ज करेगें। तथा बैंक के हितों को सुरक्षित रखते हुए राजस्व रिकार्ड में दिनांक 21.02.2024 की रिपोर्ट एवं मौका नक्शा अनुसार "सी" से "डी" बिन्दु तक कुल लम्बाई 80 मीटर का गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

नेहा [illegible] (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण   बनाम   प्रभूदयाल वगै0

ायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

स सं0 58 / 2023

०सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.10.2023	अधिवक्ता श्री हनुमान जाखड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एं0 पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.10.2023 को पेश हो।	
	23/10/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य (भुगतान) राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/12/23 को पेश हो।	
	27/12/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक ~~31/1/24~~ 29/1/24 को पेश हो।	
	29/1/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व ने नोटिस मय Reg. A.d. रसीद आदेशानुसार दिनांक 1/2/24 को पेश हो। मय डिलीवरी स्टेटस पेश कर शामिल रखे।	
	1/2/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की तामील पर्याप्त मानी जाती है अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है तहसीलदार जोबनेर से मौका रिपोर्ट अप्राप्त है पत्रावली वास्ते बइंतजार मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 1/3/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

केस सं. /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1/3/24	**पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/3/24 को पेश हो।**
	20/3/24	**पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। [illegible] पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/4/24 को पेश हो।**
	22/4/24	**पत्रावली [illegible] हुई। P.O. सा. अवकाश पर [illegible] पूर्व आदेशानुसार [illegible] 16/5/24 को पेश हो।**
	16/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी लक्ष्मीनारायण की मृत्यु होने पर वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र O22R3 जा.दी. पेश किया गया। शामिल रहे। वारिसान की ओर से वकालतनामा पेश किया गया शामिल रहे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थना पत्र O22R3 जा.दी. स्वीकार किया जाता है। आगामी पेशी पर संशोधित शीर्षक पेश करें। तहसीलदार जोबनेर से मौका रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त होकर शामिल मिसल है पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 6/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	6/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश। शा.मि. रहे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल व अन्य

का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

58/2023..

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/6/24	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मेन्टेन किए जाने बाबत कार्यवाही व धारा 5 मियाद अधिनियम जरिये अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा द्वारा पेश किए गए। प्रति मिल रही। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 27/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
27/6/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/7/24 को पेश हो।	
18/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/24 को पेश हो।	
25/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील फरीकैन उपस्थित पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र O 9 R 7 व धारा 5 मियाद अधिनियम हेतु दिनांक 1/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
1/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील फरीकैन स्था. निर्देश की पालना में पत्रावली दिनांक 2/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
2/8/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/8/24 को पेश हो।	

29/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित उप०

पूर्व आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 5/9/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

[illegible]
No objection
(09 R7)

5/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित उप०

प्रार्थी प्रस्तुत दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कार्यवाही संयुक्त किए जाने को अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रार्थी द्वारा No objection किए जाने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी नं. 1 के विरुद्ध की गई कार्यवाही संयुक्त की जाकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/9/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

27/9/24 पत्रावली पेश हुई। P.O.सा.
राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे
हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि. 16/10/24 को पेश हो।

16/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित उप०। अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 द्वारा जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। अंतिम अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

18/10/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य
राज[illegible] ग्रस्त है। अतः पूर्व
आदेश[illegible] दिनांक 23/10/24
को पेश हो।

फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल वगैरह

लय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

सं. 58 / 2023...

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/10/24	पत्रावली पेश हुई वकुलाए फरिकैन उप० / अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया नकल दिलाई गई। शामिल रहे। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 6/11/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
6.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 4/12/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
4.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते आवश्यक बहस दिनांक 6/12/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
6.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अध्ययन सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/12/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
20.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/12/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
27.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उप०। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 10/1/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर	

10.1.25 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 17/1/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

17.1.25 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 022 R4 जा. दी. पेश। बा.मि. रहे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर प्रार्थना पत्र 022 R4 जा० दी० स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 31/1/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

31.1.25 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 14/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

14.2.25 — पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~अन्य~~ का स्थानान्तरण हो गया ~~अन्यत्र में व्यस्त~~ है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।

5/3/25 — ~~पत्रावली पेश हुई~~। P.O. सा. ~~अन्य~~ का स्थानान्तरण हो गया ~~अन्यत्र में व्यस्त~~ है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हो।

2.5.25 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 21/5/25 को पेश हो।

dSG
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

21.5.25 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 28/5/25 को पेश हो।

dSG
उपख... अधिकारी
जो... जयपुर

28.5.25 — पत्रावली पेश हुई। पूर्वादेशानुसार पत्रावली दिनांक 13/6/25 को पेश हो।
dSG
प्रस्तुत:

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल

लय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

ं. /202.......

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पुनश्च! अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश। शा.मि.रहे। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 13/6/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20/6/25 को पेश हो।	
20.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकेन उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/6/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 8/8/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
8/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 29/8/25 को पेश हो।	
29.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकेन उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/9/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	

10.9.25

पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकैन उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/9/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

26.9.25

पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकैन उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A R.T.A. आंशिक स्वीकार किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक् से टंकित किया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जि0 जयपुर

वाद सं0.........

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल वगै0

प्रार्थना पत्र 251ए आर0टी0ए0

संशोधित शीर्षक

मान्यवरजी,

उपरोक्त प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 1 प्रभुदयाल फौत हो चुका है संशोधित शीर्षक निम्न प्रकार से पेश है

1/1 शान्ती देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण

1/2 लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण

1/3 विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण

1/4 सुशिला पुत्री लक्ष्मीनारायण

1/5 मन्जु देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण

1/6 ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति कुमावत निवासी डेहरा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुदयाल –फौत

1/1 रतन लाल पुत्र प्रभुदयाल

1/2 बसन्त पुत्र प्रभुदयाल

1/3 छोटेलाल पुत्र प्रभुदयाल

1/4 विनोदकुमारी पुत्री प्रभुदयाल

1/5 कृष्णा कुमारी पुत्री प्रभुदयाल

1/6 सुमित्रा पुत्री प्रभुदयाल

1/7 कमला देवी पत्नि प्रभुदयाल

समस्त जाति कुमावत निवासी डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयुपर

2 प्रबन्धक एच0डी0एफ0सी0बैंक शाखा कि0 रेनवाल

.........अप्रार्थीगण

श्रीमानजी

संशोधित शीर्षक पेश है।

दिनांक 28/05/2025

.........प्रार्थीगण

6/6/24

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला—जयपुर

प्रकरण संख्या...५८../2023

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल वगै

<u>प्रार्थना पत्र 251A आर0टी0ऐ0</u>
<u>संशोधित शीर्षक</u>

मान्यवर

उपरोक्त प्रकरण में संशोधित शीर्षक निम्न प्रकार से पेश है।

लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा (फौत)

1/1 शान्तीदेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण

1/2 लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण

1/3 विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण

1/4 सुशिला पुत्री लक्ष्मीनारायण

1/5 मन्जू पुत्री लक्ष्मीनारायण

1/6 ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति—कुमावत निवासी—डेहरा तह0—जोबनेर जिला—जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र रामू जाति—कुम्हार निवासी—डेहरा तह0—जोबनेर
2. प्रबन्धक एच0डी0एफ0सी0 बैक शाखा—कि0 रेनवाल

अप्रार्थीगण

श्रीमानजी

संशोधित शीर्षक पेश है।

दिनांकः—06/06/2024

प्रार्थीगण

Presented by Adv. Hanuman office to Report
09/10/23

न्यायालयः– उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला–जयपुर

प्रार्थना पत्र सं0–58.../2023

<u>राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन</u>

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड जोबनेर
जिला–जयपुर

श्रीमानजी

1– मै आपके उपखण्ड में भूमि धारण कर रहा हूॅ मै मेरी खातेदारी अभिधारी हूॅ और मेरी सिंचाई जोत में पंहुच के प्रयोजन के लिए खसरा नंबर 1763/11 वाकै ग्राम–डेहरा में से ए0से बी0 मार्क की जोत मे नया मार्ग दो गट्ठा चौडा रास्ता स्थापित करने का आशय रखता हुं इसलिए मै राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955(1955 का अधिनियम सं 03) की धारा 251 क की उप–धारा(2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूॅ।

2– अपेक्षित विशिष्टियां निम्नानुसार है।

1–<u>आवेदक का नाम</u> :–

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा उम्र–60वर्ष जाति –कुम्हार, निवासी–डेहरा, तह0–जोबनेर, जिला–जयपुर राजस्थान

2– आवेदक का पूरा पताः–डेहरा तह0–जोबनेर जिला–जयपुर राजस्थान

3– जोत की विशिष्टियां जिसके लिए आवेदन किया है।

लक्ष्मीनारायण

क– उपखण्ड के पसम सहित ग्राम का नाम जिसमें जोत स्थित है उपखण्ड अधिकारी जोबनेर ग्राम– डेहरा, पटवार हल्का–जोबनेर, भू0अभि0नि0क्षेत्र–कालख तह0–जोबनेर जिला–जयपुर राज0

ख–1763/11 रकबा 1.5174 है0 बारानी–1
किता–1 कुल रकबा–1.5174 है0

4– अन्य खातेदार खातेदारो की जोत की विशिष्टियां जिनमे से अपेक्षित भूमि मे से मार्ग खोलने चौडा करने का आशय रखता हूँ।

क– <u>नाम,पिता का नामः–</u>

1–प्रभुदयाल पुत्र रामू उम्र–65 वर्ष जाति–कुम्हार निवासी–डेहरा तह0–जोबनेर,जिला–जयपुर राजस्थान ।

2– प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैक शाखा किशनगढ रेनवाल

अप्रार्थीगण

ख– उपखण्ड के नाम सहित ग्राम का नाम जिसमें धृति स्थित है।

उपखण्ड जोबनेर ग्राम– डेहरा, पटवार हल्का–डेहरा, भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तह0–जोबनेर जिला–जयपुर राज0

ग– एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा संख्या

खसरा नंबर 1763/11 रकबा 1.5174 हेक्टेयर बारानी

यहकि प्रार्थीया /आवेदक 60 वर्षीय नागरीक व्यक्ति है जिसकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1763/5 रकबा 1.5174 हैक्टेयर बारानी वाकै ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तह0–जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि में आने जाने का कोई अन्य रास्ता नही है सबसे नजदीकी रास्ता यही है। इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिए तथा अपनी भूमि पर आने जाने के लिए व मवेशीयों के कृषि संसाधनों को लाने ले जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता खसरा नंबर 1763/11 रकबा 1.5174 हैक्टेयर बारानी–1 वाकै ग्राम–डेहरा पटवार हल्का डेहरा भू0अभि0नि0क्षेत्र–कालख तह0–जोबनेर जिला–जयपुर राजस्थान में से **दक्षिण से उत्तर** सीमा के सहारे सहारे मार्क ए0 से बी0 दो गटठा चौडे रास्ते की आवश्यकता है। जोबनेर से महला जाने वाली सडक से ए0 मार्क तक जहा कुआ बना हुआ है वहा तक नक्शे में रास्ता कटा हुआ है। जिसके खसरा नंबर 1763/9 है जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है,

लक्ष्मी नारायण

प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध है उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने से प्रार्थी अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एंव कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने व पशुओं के लिए चारा वगैरह लाने ले जाने उसको सुविधा मिल सकती है। इसलिए खसरा नंबर 1763/11 करबा 1.5174 हैक्टेयर बारानी–1 मे से मार्क ए0से बी0 संलग्न नक्शे मे दर्शित रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जावे उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी वर्तमान में अपने कब्जे खातेदारी के खेत में इसी रास्ते से आता–जाता है। पूर्व मे उक्त अराजियात के मूल खसरा नंबर 1763 ही थे उक्त खसरे का विभाजन हुआ तब भूलवश रास्ता कायम नही किया गया था। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी उक्त रास्ते के लिए धारा 251–ए आर0टी0ए0 के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एंव तैयार है।

दिनांक:–

Advocate

लक्ष्मीनारायण

आवेदक के हस्ताक्षर

लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा जाति–कुम्हार,
निवासी–ग्राम डेहरा,तहसील– जोबनेर
जिला–जयपुर,

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ......कृष्णा मीना...... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त......[illegible]......, कार्यालय, तहसीलदार [illegible]........ के आदेश कमांक /L.R./24/702-दिनांक ..12/12/24 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक .19/12/24. समय [illegible]...बजे आराजी खसरा नम्बर-.1763/11, 1763/5.वाके ग्राम ..डेहरा.... पटवार मंडल डेहरा........... पर श्री ...[illegible]......... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
(1)	लक्ष्मीनारायण	कूराराम	60	कुम्हार	प्रार्थी
(2)	गोपाल	कूराराम	52	कुम्हार	प्रार्थी
(3)	प्रभुदयाल	रामू		कुम्हार	अप्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

यह है कि ग्राम डेहरा के आराजी ख. न. 1763/11 रकबा 1.5174 हैक्टेयर किस्म बा. प्र., प्रभुदयाल पुत्र रामू हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार दर्ज है। ख. न. 1763/5 रकबा 1.5174 किस्म बारानी, लक्ष्मीनारायण पुत्र कूरा हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरो की जमाबंदी संलग्न है।

(1) यह है कि प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
(2) यह है कि प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है।
(3) यह है कि प्रार्थी के लिए रास्ता जरूरी है।

(4) यह है कि चाहे गये रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बंधित नहीं है।

(5) यह है कि चाहे गये रास्ते की भूमि पर HDFC बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ रेनवाल का रहन दर्ज है।

(6) यह है कि चाहे गये रास्ते की भूमि पर न्यायालय का स्थगन नहीं है।

(7) यह है कि चाहे गये रास्ते की भूमि बिन्दु A से B खसरा नं. 1763/11 रकबा 1.5174 है० किस्म बा.अ.1 है जिसकी ल० 122मी. व चौ० 5मी. कुल क्षेत्रफल 610 व.मी. है।

(8) यह है कि खसरा नं. 1763 रकबा 0.7840 किस्म बारानी 1 प्रार्थी की है जो जोबनेर महला सड़क पर है बिन्दु C से D की लम्बाई 80मी. व चौड़ाई 5 मी. कुल क्षेत्रफल 400 व.मी. है।

(9) यह है की D.L.C दर की प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

उक्त चाहे गये रास्ते के खातेदारों को नोटिस देकर रिपोर्ट तैयार की गई खातेदारों के नोटिस की प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

नजरी नक्शा

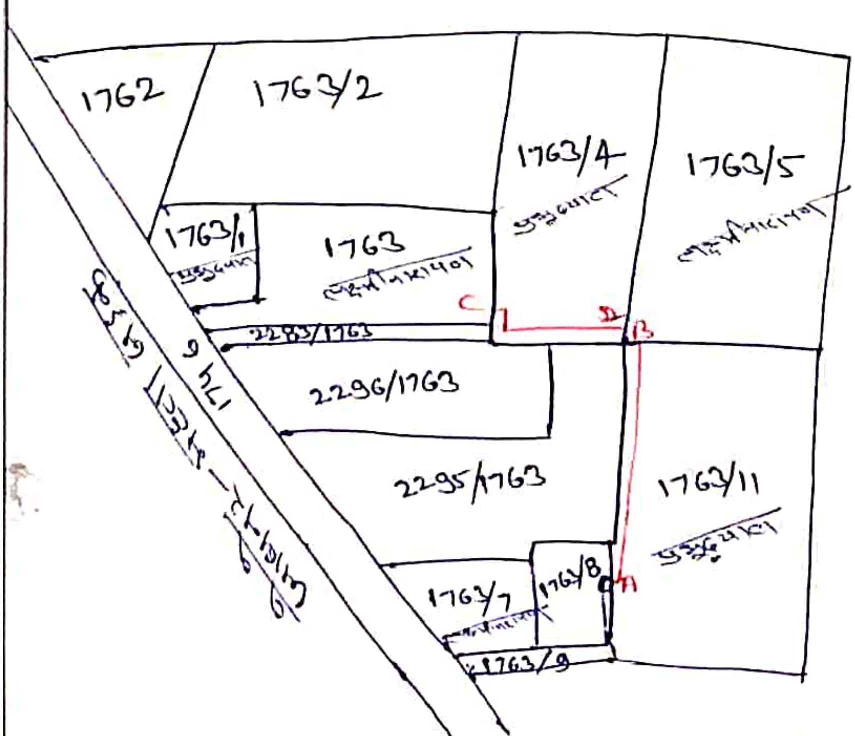

चाहा गया रास्ता बिन्दु A से B ल० 122मी. चौ० 5 कुल क्षे. 610व.मी.
बिन्दु C से D की ल० 80मी. व चौ० 5 मी. कुल क्षेत्रफल 400व.मी.

तहसीलदार (भू. अ.)
जोबनेर (जयपुर)

16/5/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या......./2023

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 3 जा0दी0

मान्यवर

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी लक्ष्मीनारायण मृत्यु दिनांक 20/03/2024 हो चुकी है। जिसके वारिसान निम्न प्रकार से पेश है।

लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा (फोत)

1. शान्ती देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण (पत्नि)
2. लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण (पुत्र)
3. विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण (पुत्र)
4. सुशिला पुत्री लक्ष्मीनारायण (पुत्री)
5. मन्जू पुत्री लक्ष्मीनारायण (पुत्री)
6. ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण (पुत्री)

समस्त जाति–कुमावत निवासी–डेहरा तह0–जोबनेर जिला–जयपुर

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की मृत्यु दिनांक 20/03/2024 को हो जाने से उसका नाम हजफ फरमाया जाकर उसकी जगह उसके उपरोक्त कानुनी वारिसान का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम हजफ फरमाया जाकर उसकी जगह उसके उपरोक्त कानूनी वारिसान का नाम दर्ज फरमाया जाने के आदेश प्रदान किये जाकर संशोधित शीर्षक पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें

दिनांकः–22 अप्रैल 2024

लालचन्द
प्रार्थीया

लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति–कुमावत
निवासी–डेहरा तह0–जोबनेर जिला–जयपुर
ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या......./2023

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल वगै.

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 3 जा0दी0</u>

शपथ पत्र

मै लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति– कुमावत निवासी– डेहरा तह0–जोबनेर जिला–जयपुर राजस्थान की रहने वाला हुँ मै सशपथ बयान करता हूँ कि

1 यह कि मै सशपथ बयान करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी कथन मेरे निजि ज्ञान मे है सही एंव सत्य है

2 यह कि उक्त प्रार्थना पत्र मे कोई तथ्य नही छिपाया है।

लालचन्द
शपथ गृहिता

सत्यापन

मै लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति–कुमावत निवासी–डेहरा तह0–जोबनेर जिला–जयपुर राजस्थान राजस्थान का आज दिनांक 22-4-2024 को बमुकाम जोबनेर सत्यापन करती हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र का मद नम्बर 1 व 2 मेरे निजि ज्ञान मे सही है

लालचन्द
शपथ गृहिता

20/6/24

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र सं 058/2023

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल वगै0

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए रा0टी0ए0

श्रीमानजी,

अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रभुदयाल की ओर से प्रार्थना पत्र एकतरफा मसुंखी निम्न प्रकार पेश हैं–

1. यह कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।
2. यह कि उक्त प्रकरण में दिनांक 19/02/2024 की पेशी नियत थी उस दिन प्रतिवादी नंबर 01 मियादी बुखार से पिडित होने से हाजिर अदालत नही हो सका न अधिवक्ता को सूचित कर सका अतः गैर हाजिरी में माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध दिनांक 19/02/2024 को कार्यवाही एकतरफा पारित कर दी गई।
3. यह कि प्रतिवादी नंबर 01 की गैर हाजिरी जानबुझकर नही हुई बवजह उपरोक्त मजबूरी वश हुई है एकतरफा कार्यवाही कायम रहने से प्रतिवादी नंबर 01 की सख्त हकतलफी होती है अतः न्याय हित में एकतरफा कार्यवाही निरस्त की जाकर सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादी नंबर 01 की सख्त हकतलफी होगी एंव वह अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो जायेगा।

प्रभुदयाल

4. यह कि उक्त तथ्यो की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14/06/2024 को अप्रार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर जानकारी होने से यह प्रार्थना पत्र एकतरफा मंसुखी अंदर मियाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः दर0 मय हलफनामा पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 19/02/2024 को निरस्त फरमाकर प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 01 को न्यायहित मे सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करे।

स्थान– जोबनेर

दिनांक– 20/6/24

प्रभुदयाल
अप्रार्थी सख्या 1

द्वारा अधिवक्ता

20/6/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र सं0...........

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल वगै0

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर0 टी0ए0</u>

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 मियाद अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

अप्रार्थी 01 कि ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैं।

1. यह कि प्रार्थी को इस प्रकरण बाबत् स्वंय को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ है प्रार्थी के नाम से जो नोटिस आया उसे घर पर बच्चो ने प्राप्त करके रख लिया है प्रार्थी उस दौरान बुखार से पिडित रहा तथा स्वस्थ होने पर परिवार वालो ने नोटिस की जानकारी दी इस कारण से प्रार्थी दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित नही हो सका ओर प्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
2. यह कि प्रार्थी की अनुपस्थिती जानबुझकर नही रही प्रकरण की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2024 को नकल प्राप्त कि गई।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में उपस्थित होने का कारण क्षमा योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की एक तरफा कार्यवाही मनसुख करने का श्रम करे।

प्रभुदयाल

प्रार्थी / अप्रार्थी सं.01

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र सं..........2023

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल

<u>जवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा राज. अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उप धारा (1) के अधीन</u>

मान्यवरजी,

अप्रार्थी संख्या 01 कि ओर से जवाब निम्न प्रकार से हैं।

1. यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 01 राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955(1955) का अधिनियम संख्या 03 की धारा 251 क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये खातेदार का सिचाई जोत मे पहुच के प्रयोजन के लिये सबसे निकटमत रास्ता होना अनिवार्य है जो की खसरा नम्बर 1763/11 वाके ग्राम डेहरा मे से ऐ से बी मार्क किया गया है जो कि उचित नही होकर खसरा नम्बर 1763 मे से दिया जाना 251 क कि मन्शा के अनुसार उचित होगा जो कि प्रार्थी की स्वंय की खातेदारी भूमि है। जो कि जोबनेर से महला जाने वाली मुख्य रोड से लगवा है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 का पेरा 01 लगायत 02 में वर्णित तथ्य सही व स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र के मद नमबर 03 का पेरा क, ख मे वर्णित तथ्य गलत व अस्वीकार है।

प्रभुदयाल

4. यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 04 का पेरा नम्बर क के 01 लगायत 02 में वर्णित तथ्य सही व स्वीकार है एंव पेरा नम्बर ख वर्णित तथ्य सही व स्वीकार है तथा पेरा नमबर ग मे वर्णित खसरा नमबर 1763/5 रकबा 1.5174 हैक्टेर किस्म बारानी वाके ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो की सही व स्वीकार है लेकिन उक्त भूमि मे आने जाने का निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 1763/11 से नही होकर खसरा नम्बर 1763 व खसरा नम्बर 1763/4 मे से होना चाहिए जो की खसरा नम्बर 1763 मे से मार्क ए से बी तथा खसरा नम्बर 1763/4 मे से मार्क बी से सी व डी अकिंत है

अतः—प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की मन्शा के अनुसार प्रस्तुत नही किया जाने से खारीज करने योग्य है

दिनांक 18.10.2024

स्थान जोबनेर

प्रत्यर्थी

(जरिये अधिवक्ता)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र सं..........2023

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभुदयाल

जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र

मै प्रभुदयाल पुत्र रामू जाति कुम्हार निवासी डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:—

1. यह कि मै उक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी/प्रतिवादी हूँ तथा मुझे इस प्रकरण के समस्त तथ्यो की पूर्ण जानकारी हैं।
2. यह कि संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र मेरी हिदायत के अनुसार लिखाया जाकर टाईप करवाया गया हैं जिसमें दर्ज व समस्त तथ्यात्मक तथ्यो को मैंने पढ/पढा कर सुन व समझ लिये हैं जो मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं।
3. यह कि संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग समझा जाकर पढा जावे।

स्थान—जोबनेर

[signature]

दिनांक 18.10.2024 शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र कि मद नम्बर 01 लगायत 03 मेरे निजी ज्ञान से सहीं व सत्य हैं

स्थान — जोबनेर

[signature]

दिनांक 18.10.2024 शपथग्रहिता

[signature]

(जरिये अधिवक्ता)

न्यायालयः— उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या ..../2025

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभूदयाल वगै

<u>प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दि0</u>

मान्यवर,

उपरोक्त प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 प्रभूदयाल पुत्र रामु दि0 03/01/2025 को फौत हो चूके है जिनके विधिक वारीसान निम्न प्रकार से पेश है

प्रभूदयाल पुत्र रामू (फौत)

1 रतन लाल (पुत्र)

2 बसन्त (पुत्र)

3 छोटेलाल (पुत्र)

4 विनोदकुमारी (पुत्री)

5 कृष्णा कुमारी (पुत्री)

6 सुमित्रा (पुत्री)

7 कमला देवी पुत्र (पत्नि)

समस्त जाति कुमावत निवासी— डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर

उपरोक्त प्रकरण मे प्रतिवादी प्रभूदयाल की मृत्यु दि0 03/01/2025 को हो जाने की वजह से इनका नाम हजफ फरमाया जाकर इनके स्थान पर उपरोक्त कानूनी वारीसान का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी प्रभूदयाल का नाम हजफ कर उक्त कानुनी वारीसान का नाम दर्ज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कर संशोधित शीर्षक पेश करने की अनुमति प्रदान की जाने की कृपा करें।

दि0 17/01/2025

प्रार्थी

लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण

जाति कुमावत निवासी डेहरा

न्यायालयः– उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या ..../2025

लक्ष्मीनारायण बनाम प्रभूदयाल वगै

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दि0

शपथ पत्र

मैं लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी– डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हुं मै सशपथ बयान करता हूँ कि

1 यह कि मैं सशपथ बयान करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी कथन मेरे निजि ज्ञान मे है सही व सत्य है

2 यह कि उक्त प्रार्थना पत्र मे कोई तथ्य नही छिपाया है।

शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी– डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान का आज दि0 17/01/2025 को बेमुकाम जोबनेर सत्यापत करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र का मद नं0 1 व 2 मेरे निजि ज्ञान मे सही है।

शपथ गृहिता